14596 14595/30/05 14596

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

P 029524

DL 9504086

DELHI

ट्रस्ट डीड
ऑफ
भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान

आज दिनांक 30 मई, 2011 को मैं संस्थापक ट्रस्टी योगेश आत्रेय, सुपुत्र श्री अनुभवानन्द शास्त्री, निवासी 103, खेड़ा खुर्द, दिल्ली – 110082 "भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान" नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ। इस ट्रस्ट के लिए ग्यारह हजार रूपये देता हूँ। यह राशि ट्रस्ट के उद्देश्यों पर व्यय की जायेगी। ट्रस्ट डीड में जो नियम एवं उपनियम निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार तथा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धाराओं के अनुसार ट्रस्ट संचालित होगा।

1. ट्रस्ट का नाम – "भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान" होगा

2. ट्रस्ट का पता – ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ए–3/51/1 सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 होगा तथा भविष्य में भी ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही रहेगा।

दिल्ली DELHI

P 029525

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. ट्रस्ट के उद्देश्यः—

(क) भारत वर्ष में ट्रस्ट के माध्यम से समाज व राष्ट्र की सेवा करना तथा वर्ग, समुदाय में प्रेम व एकता की भावना को उत्पन्न करना।

(ख) भारत वर्ष में समाज के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक आदिवासी, वनवासी, विकलांग, अनाथ, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, काम काजी महिलाओं, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाएँ एवं बालक–बालिकाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, हैन्डीक्राफ्ट शिक्षा, हस्तशिल्प प्रशिक्षण एवं सेमिनार तथा स्वरोजगार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना और उनका संचालन करना तथा आर्थिक मदद करना एवं ऋण उपलब्ध कराना।

(ग) भारत के अनेक राज्यों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण, विधि शिक्षण संस्था, मेडिकल कॉलेज (ऐलोपेथिक, आयूर्वेद, यूनानी, होमयोपैथ आदि) कृषि विज्ञान केन्द्र पशु चिकित्सा, खेल–कूद अकादमी, फार्मेसी (आर्युवेद, एलोपैथी, हौम्योपैथिक, यूनानी

दिल्ली DELHI

P 029526

आदि) तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रबंधन के संस्थानों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

(घ) भारत वर्ष के सर्वांगीण कल्याण एवं उत्थान के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं प्रशिक्षण द्वारा भारत के अनेक राज्यों में केन्द्र स्थापित कर ज्ञान–विज्ञान का प्रचार करना।

(ङ.) भारत वर्ष में रहने वाले विभिन्न वर्ग के बालक–बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष शिक्षण हेतु विदेशों में भेजने का प्रबंध करना तथा उनकी आर्थिक सहायता करना।

(च) भारत वर्ष के अनेक राज्यों में पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक केन्द्र वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, गुरूकुल, अध्यात्मिक उपासना केन्द्र, मंदिर, योग साधना केन्द्र, धर्मशाला, महिला कल्याण आश्रम, बालक–बालिका कल्याण आश्रम, नशामुक्ति केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

(छ) राष्ट्रीय आपदा जैसे आतंकवादियों द्वारा उजाड़े गये परिवार महामारी, भूकंप, सुनामी लहरों जैसी अन्य दुर्घटनाऐं आदि राष्ट्रीय आपदा ग्रस्त बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करना तथा भारत वर्ष में कमजोर वर्ग की महिलाओं, पुरूषों, बालक–बालिकाओं के भोजन, आवास, रोजगार आदि की व्यवस्था करना तथा उनकी आर्थिक मदद करना।

दिल्ली DELHI

P 029527

(ज) भारतवर्ष में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले शिक्षाविदों, कवियों चिकित्सकों साहित्यकारों राजनीतिज्ञों, पत्रकार, अभिनेता, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, एवं समाजसेवियों को सम्मानित करना।

(झ) विदेशों में शिक्षा कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा विज्ञान एवं अन्य तकनीकी शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी एवं अध्ययन सम्बन्धी कार्यकलापों का व्यवहारिक स्वरूप जानने के लिए विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर भारत में नवीनतम ज्ञान विज्ञान का प्रशिक्षण देना। विश्व की समस्याओं एवं विश्व कल्याण से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय – अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। विश्व में प्रेम एवं भाईचारे को बढ़ाने के लिए उनकी संस्कृति तथा हमारी संस्कृति दोनों की संस्कृतियों से परिचित होने के लिए अपने प्रतिनिधियों को विदेशों में भेजकर और विदेशों के प्रतिनिधियों को भारत में बुलाकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना और उनके रहने आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(ञ) भारतवर्ष में पानी की समस्या को देखते हुए जल संसाधन तथा जल संरक्षण के संदर्भ में कार्य करना।

(ट) भारत की जनता में जागरूकता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया का संचालन करना, प्रशिक्षण शिविर, रैली, गोष्ठीयों तथा राग्गेलनों का आयोजन करना, जन चेतना हेतु पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा सत्साहित्य का निःशुल्क वितरण करना।

(ठ) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान, विदेशी सहायता, सरकारी व अर्धसरकारी सहायता, अनुदान, गिफ्ट, चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त करेगा।

(ड) भारतवर्ष में पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग के लिए जड़ी बूटियों, जंगलों, जल स्त्रोतों जंगली जीवों, वनस्पति और प्रकृति के अनेक वरदानों की रक्षा करना और उन्हें विकसित करना।

(ढ़) भारतवर्ष के ग्रामीण एवं शहरों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने लिए अनेक साधनों द्वारा सेवा कार्य करना तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति आर्युवेद, युनानी, होम्योपैथ, एलोपैथिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि द्वारा पिड़ितों की सहायता करना। डिसपैन्सरी एवं हॉस्पीटलों का निर्माण कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

(ण) भारतवर्ष में भूमि को विकसित करना। किसानों को नई तकनीकियों से खेती कराना, कृषि फार्मो तथा डेरी फार्मो आदि केन्द्रों की स्थापना करना।

(त) भारतवर्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सदभावना, सामाजिक समरसता के कार्य करना एवं जन चेतना उत्पन्न करना। हर उन कार्यक्रमों एवं कार्यों को करना जिससे समाज का कल्याण एवं उत्थान हो।

(थ) भारतवर्ष में पशु पक्षियों, जलचर, नभचर, जानवरों के कल्याण के लिए कार्य करना उनके रहने तथा चिकित्सा को प्रबन्ध करना।

(द) अन्य संस्थाओं, ट्रस्टों और गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता करना, उनसे सहायता लेना और उनके साथ सहयोग करना तथा उनके साथ मिलकर भारतवर्ष के कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य करना। ट्रस्ट के उद्येश्यों को मूर्त रूप देने के लिए कथाओं, सत्संग समारोह, यज्ञादि कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं इन कार्यक्रमों में जनता से दान एवं गुप्तदान की अपील करना। तत्पश्चात् आये हुए दान एवं गुप्तदान से संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करना।

(ध) भारत के संविधान के अनुसार मानव अधिकारों की रक्षा करना एवं समाज में हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार व अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करना तथा कार्यपालिका व न्यायपालिका की मदद से संविधान, कानून व नियमों, एवं मानव मात्र के अधिकारों की रक्षा करना एवं न्यायलयों में जनहित याचिका के माध्यम से संविधान कानून व नियमों एवं राष्ट्र हितों की रक्षा करना।

जिन ट्रस्ट्रियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में पदाधिकारी एवं सदस्यों के रूप में कार्य सौंपा गया है उनके वर्तमान नाम व दायित्व निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री योगेश आत्रेय	103, खेड़ा खुर्द, दिल्ली–110082	शैक्षणिक प्रबन्धन एवं कृषि	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुनीता	आर.जैड.एच. 330–बी, गली न. 11, राज नगर–2, पालम कालोनी नई दिल्ली – 110045	अध्यापन	सचिव
3.	श्री रघुवीर सिंह	ग्राम–बढमलिक, पो.–राई, जिला–सोनीपत, हरियाणा	अध्यापन	कोषाध्यक्ष
4.	श्री रमेशचन्द्र शास्त्री	ए–3/51/1, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085	शैक्षणिक प्रबन्धन एवं प्रचार	सदस्य
5.	श्रीमती नीतू सिंह	5/2, डाली बाग कालोनी, लखनऊ, उ.प्र.	निजी व्यवसाय	सदस्य

5. ट्रस्ट सदस्यता एवं चुनाव सम्बन्धी नियम

क. ट्रस्ट में सभी आजीवन ट्रस्टियों को मिलाकर एक "साधारण सभा" कहलायेगी। साधारण सभा की बैठक प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात हुआ करेगी, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का गठन अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की बैठक कभी भी बुला सकते हैं। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट पॉच सदस्यों का होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। अध्यक्ष अपने जीवन के अन्तिम समय में अपना उत्तराधिकारी ट्रस्टियों में से घोषित करेंगे। अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने अथवा अध्यक्ष की अचानक मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट के सचिव ही अध्यक्ष होंगे तथा अध्यक्ष के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

ख. ट्रस्टियों की संख्या अधिक से अधिक 11 तक हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है 18 वर्ष की आयु पुरी कर चुका है। वह व्यक्ति इस ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनने के लिए लिखित रूप से ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा कराना होगा तदनन्तर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक में उसकी सदस्यता स्वीकार एवं अस्वीकार का निर्णय लिया जायगा। सदस्यता स्वीकार करने पर ट्रस्ट को 51000/– रूपये देय होंगे।

6. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अधिकार एवं कर्त्तव्य

(क) ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी व्यवस्थाओं की देखभाल करना।

(ख) ट्रस्ट की समस्त चल/अचल सम्पत्तियों को क्रय विक्रय करने एवं गिरवी रखने तथा दान देने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का होगा क्रय–विक्रय गिरवी रखना तथा दान देने से संबंधित सभी प्रपत्रों हस्ताक्षर करने का अधिकार अध्यक्ष का होगा।

(ग) ट्रस्ट के वार्षिक आय–व्यय को स्वीकृत करना।

(घ) आजीवन ट्रस्टीयों की सदस्यता को स्वीकार/अस्वीकर करना। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट को यह अधिकार होगा की वह किसी भी व्यक्ति के सदस्यता आवेदन की बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर सकता है। ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनने के लिए यह अनिवार्य होगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा सदस्यता के आवेदन को स्वीकृत किया गया हो।

(ड.) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठको में सभी प्रस्ताव बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति से स्वीकार/अस्वीकार किये जायेंगे।

(च) ट्रस्ट के उद्येश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यो में आवश्यक कर्मचारियों कि नियुक्ति करने एवं उनके वेतन अथवा मानदेय (पारिश्रामिक) निश्चित करना और सेवाएँ समाप्त करने के लिए चयन समितियों का गठन करना समितियों का गठन करने व परिवर्तन करने तथा भंग करने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्ट को होगा।

(छ) भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यो में राज्य के तत्संबंधित विभागों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रबंध समितियों में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को नामित करना उन्हें हटाना एवं उनके स्थान पर नये प्रतिनिधि नामित करना तथा भारतवर्ष में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यो के लिए प्रबंध समितियों का गठन करना एवं उनके अधिकार तथा कर्तव्यों का निर्धारण करना। प्रबंध समितियों में परिवर्तन करना तथा भंग करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार भारत वर्ष में कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिये विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों की स्थापना करना।

(ज) शैक्षणिक और तकनीकी विषयों तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यो के लिए वैतनिक अथवा अवैतनिक परामर्शदाता, निदेशक, सलाहकार, प्रबंधक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनका मानदेय (पारिश्रमिक) निश्चित करना।

7. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

I. अध्यक्ष

(क) ट्रस्ट के सभी कार्यो और विषयों के समुचित निपटारे के लिए उत्तरदायी होंगे वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो नियमों तथा उपनियमों द्वारा एवं साधारण सभा व बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा उन्हें दी जायेगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष साधारण सभा व बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठको की अध्यक्षता करेंगे।

(ख) साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के विचाराधीन किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या समान होने पर उन्हें निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा और बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक बुला सकते है व साधारण सभा व बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए

उत्तरदायी होंगे संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित किसी भी परियोजना के लिए अधिकतम दस लाख रूपये व्यय करने का अधिकार होगा तथा आकस्मिक कार्यो के लिए दस लाख रूपये तक की राशि अपने पास रखने का अधिकार होगा।

(ग) यदि कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का पदाधिकारी या सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठकों में बोर्ड ऑफ ट्रस्ट एवं साधारण सभा की बैठकों में अनुशासनहीनता या ट्रस्ट के विपरीत आचरण करता है एवं अध्यक्ष की नजरों में अपने उत्तरदायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं करता है तो उस पदाधिकारी व सदस्यों को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट तथा साधारण सभा से हटाने का (पृथक करने का) विशेष अधिकार प्राप्त होगा अध्यक्ष महोदय हटाये गये पदाधिकारी या सदस्य के स्थान पर ट्रस्टीयों में से उनके स्थान को भरेंगे। इस प्रकार नामित व्यक्ति अपने पद पर उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह आया है शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेंगे।

(घ) अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से नगद दान गिफ्ट, चल–अचल सम्पत्तियो को प्राप्त करने का अधिकर होगां।

(ड.) ट्रस्ट के अध्यक्ष को उद्देश्यों के अनुसार संचालित कार्यकलापों में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का विशेष अधिकार होगा।

II . सचिव

(क) अध्यक्ष की आज्ञा से साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक बुलाने के लिये पत्र व्यवहार करना।

(ख) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही लिखना।

(ग) ट्रस्ट का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना एवं अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना।

(घ) ट्रस्ट सम्बन्धी कार्यो के लिये पचास हजार रूपये व्यय करने का अधिकार होगा।

(ड.) साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सभी आदेशों एवं निर्णयों को अधिकारित रूप से प्रेषित करना।

III . कोषाध्यक्ष

(क) ट्रस्ट का आय व्यय सम्बन्धी रिकार्ड रखना।

(ख) प्रतिवर्ष ट्रस्ट का ऑडिट करवाना।

(ग) ट्रस्ट का लेखा जोखा प्रतिवर्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से पास करवाना।

(घ) ट्रस्ट सम्बन्धी खर्चो के लिए अपने पास बीस हजार रूपये तक रख सकते हैं इससे अधिक धन राशि बैंक में जमा की जाया करेगी।

(ड़) प्रतिवर्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत करना होगा।

8. **ट्रस्ट के आय स्त्रोत –**

दान, सदस्यता शुल्क, ऋण, (व्यक्तिगत या बैंक आदि) द्वारा प्राप्त करना। अनुदान लेना।

9. **सदस्यता समाप्ति–**

स्वयं त्यागपत्र देना, पागल हो जाने पर, निधन हो जाने पर, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा सदस्यता समाप्त किये जाने पर।

10. **बैठक सम्बन्धी नियम –**

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक छः मास में तथा साधारण सभा की बैठक पांच वर्ष में हुआ करेगी।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष साधारण सभा तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक कभी भी बुला सकते हैं।

(ग) सभी ट्रस्टियों की बैठक को "साधारण सभा" कहा जायेगा।

(घ) साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की सभी बैठकों में बहुमत के आधार पर कोरम पूरा माना जायेगा।

11. **बैंक व्यवस्था–**

ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेंट बैंक, कॉपरेटिव बैंक, डाकघर, एवं भारत सरकार के किसी भी बैंकिंग संबंधी उपक्रम में खोला जा सकता है। खाता बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक में पास प्रस्ताव के आधार पर खोला जाएगा।

12. **वित्तीय व्यवस्था –**

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक माना जायेगा। प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त चाटर्ड अकाउंट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा।

13. **न्यायालय एवं अभियोग सम्बन्धी नियम –**

जब कभी कोई व्यक्ति ट्रस्ट पर न्यायालय में जाकर अभियोग लगाता है। अथवा कोई विभाग या व्यक्ति ट्रस्ट से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करता है। तो उस स्थिति में ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा अधिकृत व्यक्ति न्यायालय में ट्रस्ट की ओर से कार्यवाही करेगा। न्यायालय द्वारा लिया गया कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल निर्णय ट्रस्ट पर ही प्रभावी होगा। किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं।

14. **विघटन सम्बन्धी नियम –**

ट्रस्ट की जब कभी भंग होने की स्थिति आ जायेगी तो उस स्थिति में ट्रस्ट के अध्यक्ष साधारण सभा की बैठक बुलाकर उसमें सभी ट्रस्टीयों से विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लेंगे। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जायगा और यदि ट्रस्ट भंग करने का निर्णय लिया जाता है तो ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति किसी ऐसे ट्रस्ट को दे दी जाएगी जिसका उद्देश्य लोकोपकारक होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धाराओं के अनुसार कार्य करेगा।

ट्रस्ट के संस्थापक के हस्ताक्षर

नाम : श्री योगेश आत्रेय

पता: 103, खेड़ा खुर्द, दिल्ली.110082

साक्षी नं. 1

हस्ताक्षर: ....

नाम : आचार्य रमेश चन्द्र शास्त्री

पता: ए–3/51, सैक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–85 E6635448

साक्षी नं. 2

हस्ताक्षर: ....

Sunil Kumar S/o Chandar Bhan